

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद अल्मोड़ा

आदेश संख्या २४४ /प्रांशि०/स्थानान्तरण/2015-2016

दिनांक ०६ जुलाई, 2015

—:अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश:-

शासन की अधिसूचना संख्या 201/XXIV-2/2013-32 (1)2013 दिनांक 21 मई 2013 उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवम् स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संबन्धित 2014 के नियम 10-(1)-(अ) में निहित प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण की श्रेणी X क्षेत्र से निम्नांकित प्रधानाध्यापक राजकीय प्रारम्भिक विद्यालय का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्बन्ध स्थान 4 में अंकित Y क्षेत्र के विद्यालय में किया जाता है। सम्बन्धित को आदेशित किया जाता है कि ये आदेश निर्भत होने की विधि से एक सदाह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि किसी शिक्षक को उसके स्थानान्तरण के सन्दर्भ में कोई आपत्ति हो कि उसका स्थानान्तरण नियमावली में निर्धारित नियमों की विपरीत किया गया है तो यह निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करके स्थानान्तरण आदेश निर्भत होने की तारीख से एक माह के अन्दर उपर्युक्त नियमों के विपरीत किये गये स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पृष्ठ साक्ष्य सहित अपना प्रत्यावेदन मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल को प्रेषित करें।

क्र०स०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	कार्यरत राजप्रांविं विद्यालय/क्षेत्र का नाम	स्थानान्तरित राजप्रांविं विद्यालय/ क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
01	श्रीमती ज्योति खनी	सुनियाकोट, ताडीखेत	चनोली, मैसियाछाना
02	श्रीमती भवानी चौहान	लघौली, धौलादेवी	भेटाबडीली, धौलादेवी
03	श्रीमती निश विष्ट	बसौली, ताकुला	वर्वैराला भनार, हवालवाग
04	श्रीमती प्रदीप काण्डपाल	थापला, ताडीखेत	डमरा सौराल, सल्ट
05	श्रीमती किरन बाला	तल्ला एराडी, द्वाराहाट	मछलियाँ, द्वाराहाट
06	श्रीमती गीता सनवाल	सनरंगोड़, धौलादेवी	कुनखेत प्राथीन, मैसियाछाना
07	श्रीमती चन्द्रकला नेही	बंगसर, हवालवाग	चौना भनार, धौलादेवी
08	श्रीमती हेमलता आर्या	चमरीली तरस्वाड़, ताडीखेत	सीमें, निवियासैण
09	श्रीमती अन्जुला आर्या	वैरती गाड़, धौखुटिया	गवाड़, द्वाराहाट
10	श्रीमती सुशीला नेही	परखोला, स्वाल्पे	आगरनीला, धौखुटिया
11	श्रीमती सरोजनी पाण्डेय	दुगरा, ताडीखेत	दोलीखाल, निवियासैण
12	श्री पूरन चन्द्र मर्मगई	चौखुटियाँ, धौखुटिया	गैलगवेली, धौखुटिया

हस्तांत्र /—
मुख्य शिक्षा अधिकारी
अल्मोड़ा

पृष्ठांकन संख्या १६२६-५३
/प्रांशि०/स्थानान्तरण/2015-2016 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि आदेश सम्बन्धित उप शिक्षक को प्राप्त करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें। विद्यालय अध्यापक विहीन होने की विधि में स्थानान्तरित शिक्षक को प्रतिस्थानी के आने पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा। स्थानान्तरित शिक्षक का माह जुलाई, 2015 का येतन नवीन तैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।
- संविधित कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को उक्तानुसार अनुपालन हेतु।
- कार्यालय आदेश पंजिका।

(अशोक कुमार रिंग)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)
जनपद अल्मोड़ा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद अल्मोड़ा

आदेश संख्या 285 / प्राप्तिवित / स्थानान्तरण / 2015–2016

दिनांक 06 जुलाई, 2015

—अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश—

शासन की अधिसूचना संख्या 201/XXIV-2/2013-32 (1)2013 दिनांक 21 मई 2013 उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति एवम् स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013यथा संशोधित 2014 के नियम 10-(1)-(आ) में निहित प्राधिकारी के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण की श्रेणी Y क्षेत्र से निम्नांकित सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का स्थानान्तरण उनके नाम के समुद्ध स्थान 5 में अकित X क्षेत्र के विद्यालय में किया जाता है। सम्बन्धित को आदेशित किया जाता है कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि किसी शिक्षक को उसके स्थानान्तरण के सन्दर्भ में कोई आपत्ति हो कि उसका स्थानान्तरण नियमावली में निर्धारित नियमों की विपरीत किया गया है तो वह निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करके स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तारीख से एक माह के अन्दर उपर्युक्त नियमों के विपरीत किये गये स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुष्ट साक्ष्य सहित अपना प्रत्यावेदन मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल को प्रेषित करेंगे।

क्र०स०	शिक्षक / शिक्षिका का नाम	विषय	कार्यरत राजउप्राप्ति विद्यालय / क्षेत्र का नाम	स्थानान्तरित राजउप्राप्ति विद्यालय / क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
01	श्री पूरन राम टम्टा	सामान्य	धौलनैली, भैसियाछाना	महतगाँव, हवालबाग
02	श्री रमेश चन्द्र जोशी	सामान्य	छिकलना, भैसियाछाना	पान, चौखुटिया
03	श्री गोपाल सिंह	भाषा	कलियालिगुण, स्थालदें	थापाला, चौखुटिया
04	श्री बालम सिंह	भाषा	कल्याणपुर, स्थालदें	सैणामानुर, स्थालदें
05	श्री हरीश सिंह नेगी	सामान्य	मलाड, धौलादेवी	ढौनीगाड़, ताकुला
06	श्री दिनेश चन्द्र	सामान्य	बघाड, लमगड़ा	खालीभेटुली, ताकुला
07	श्री त्रिलोचन भट्ट	सामान्य	थुवासिमल, लमगड़ा	भावूलमगड़ा

हस्तांतर

मुख्य शिक्षा अधिकारी
अल्मोड़ा

पृष्ठांकन संख्या 1712-28 / प्राप्तिवित / स्थानान्तरण / 2015–2016 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि आदेश सम्बन्धित को प्राप्त कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें। विद्यालय में 50% से अधिक शिक्षकों की कमी होने की स्थिति में स्थानान्तरित शिक्षक को प्रतिस्थानी के आने पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा। स्थानान्तरित शिक्षक का माह जुलाई 2015 का वेतन नवीन तैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।
- संबंधित शिक्षक / शिक्षिका को उवतानुसार अनुपालन हेतु।
- कार्यालय आदेश पंजिका।

(अशोक कुमार सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)
जनपद अल्मोड़ा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद अल्मोड़ा

आदेश संख्या २४४ /प्राठशि०/स्थानान्तरण/2015-2016

दिनांक ०६ जुलाई, 2015

-अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश:-

शासन की अधिसूचना संख्या 201/XXIV-2/2013-32 (1)2013 दिनांक 21 मई 2013 उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदान्तरि एवम् स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013यथा संशोधित-2014 के नियम 10-(1)-(आ) में निहित प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण की श्रेणी Y क्षेत्र से निम्नांकित प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 4 में अंकित X क्षेत्र के विद्यालय में किया जाता है। सम्बन्धित को आदेशित किया जाता है कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

क्र०स०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	कार्यरत राठौड़प्राठौवि० विद्यालय/क्षेत्र का नाम	स्थानान्तरित राठौड़प्राठौवि० विद्यालय/ क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
01	श्री महेश चन्द्र	महरागाँव, धौलादेवी	कायाला, हवालबाग

हस्तांतरित
मुख्य शिक्षा अधिकारी
अल्मोड़ा

(५०७-१)

पृष्ठांकन संख्या /प्राठशि०/स्थानान्तरण/2015-2016दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- 3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि आदेश सम्बन्धित को प्राप्त कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें। विद्यालय अध्यापक विहीन होने की रिपोर्ट में स्थानान्तरित शिक्षक को प्रतिस्थानी के आने पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा। स्थानान्तरित शिक्षक का गाह जुलाई 2015 का वेतन नवीन तैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।
- 4- संबंधित कोषाधिकारी।
- 5- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को उक्तानुसार अनुपालन हेतु।
- 6- कार्यालय आदेश पंजिका।

(अशोक कुमार सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)
जनपद अल्मोड़ा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद अल्मोड़ा

आदेश संख्या २४९ /प्राठशि०/स्थानान्तरण/2015-2016

दिनांक ०६ जुलाई, 2015

-:: अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश:-

शासन की अधिसूचना संख्या २०१/XXIV-२/२०१३-३२ (१)२०१३ दिनांक २१ मई २०१३ उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवम् स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली २०१३यथा संशोधित २०१४ के नियम १०-(१)-(अ) में निहित प्रविधानों के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण की श्रेणी X क्षेत्र से निम्नांकित सहायक अध्यापक राजकीय प्रारम्भिक विद्यालय का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्बन्ध रत्नम् ५ में अंकित Y क्षेत्र के विद्यालय में किया जाता है। सम्बन्धित को आदेशित किया जाता है कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि किसी शिक्षक को उसके स्थानान्तरण के सन्दर्भ में कोई आपत्ति हो कि उसका स्थानान्तरण नियमावली में निर्धारित नियमों की विपरीत किया गया है तो वह निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करके स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तारीख से एक माह के अन्दर उपर्युक्त नियमों के विपरीत किये गये स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुष्ट साक्ष्य सहित अपना प्रत्यावेदन मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल को प्रेषित करें।

प्र०स०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	कार्यरत राठप्राठवि० विद्यालय/क्षेत्र का नाम	स्थानान्तरित राठप्राठवि० विद्यालय/क्षेत्र का नाम
१	२	३	४
०१	श्रीमती निशा अग्रवाल	चौराकलेता, हवालबाग	सेला, धीलादेवी
०२	श्रीमती रंजना लोहनी	शैल, हवालबाग	चामी, धीलादेवी
०३	श्रीमती विनिता साह	खत्याली, हवालबाग	कालाकोटुली, भैसियाछाना
०४	श्रीमती पुष्पा बर्मा	झासेडाटाना, हवालबाग	बदनगांव, चौखुटियाँ
०५	श्रीमती चन्द्रा विष्ट	फड़का, हवालबाग	मयोली, धीलादेवी

हस्तांक /—
मुख्य शिक्षा अधिकारी
अल्मोड़ा

पृष्ठांकन संख्या १६५४-६२ /प्राठशि०/स्थानान्तरण/2015-2016 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- १- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- २- अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- ३- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि आदेश सम्बन्धित को प्राप्त कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें विद्यालय अध्यापक विहीन होने की स्थिति में स्थानान्तरित शिक्षक को प्रतिस्थानी के आने पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा। स्थानान्तरित शिक्षक का माह जुलाई २०१५ का बेतन नवीन तैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।
- ४- संबंधित कोषाधिकारी।
- ५- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को उवतानुसार अनुपालन हेतु।
- ६- कार्यालय आदेश पांजिका।

(अशोक कुमार सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)
जनपद अल्मोड़ा ५

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद अल्मोड़ा

उत्तराखण्ड संख्या २४० / प्राइवेट / स्थानान्तरण / 2015-2016

दिनांक ०६ जुलाई, 2015

-अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश:-

शासन की अधिसूचना संख्या 201 / XXIV-2 / 2013-32 (1) 2013 दिनांक 21 मई 2013 उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवम् स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित 2014 के नियम 10-(1)-(अ) में निहित प्राविधिकों के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण की श्रेणी X क्षेत्र से निम्नांकित प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्थान 4 में अकित Y क्षेत्र के विद्यालय में किया जाता है। सम्बन्धित को आदेशित किया जाता है कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि किसी शिक्षक को उसके स्थानान्तरण के सन्दर्भ में कोई आपत्ति हो कि उसका स्थानान्तरण नियमावली में निर्धारित नियमों की विपरीत किया गया है तो वह निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करके स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तारीख से एक माह के अन्दर उपर्युक्त नियमों के विपरीत किये गये स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुष्ट साक्ष्य सहित अपना प्रत्यावेदन मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल को प्रेषित करेंगे।

क्र०स०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	कार्यरत राठ०प्राइवेट विद्यालय/क्षेत्र का नाम	स्थानान्तरित राठ०प्राइवेट विद्यालय/ क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
01	श्रीमती निर्मला बाफिला	छतगुला,द्वाराहाट	खोलियार्वोज,द्वाराहाट

हस्तांत्रित
मुख्य शिक्षा अधिकारी
अल्मोड़ा

पृष्ठांकन संख्या 163-67 / प्राइवेट / स्थानान्तरण / 2015-2016 दिनांक उक्तावत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहशास्त्रन।
- 2- अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि आदेश सम्बन्धित को प्राप्त कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें। विद्यालय में 50% से अधिक शिक्षकों की कमी होने की स्थिति में स्थानान्तरित शिक्षक को प्रतिस्थानी के आने पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा। स्थानान्तरित शिक्षक का माह जुलाई 2015 का वेतन नवीन तैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।
- 4- संबंधित कोषाधिकारी।
- 5- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को उक्तानुसार अनुपालन हेतु।
- 6- कार्यालय आदेश पंजिका।

(अशोक कुमार सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)
जनपद अल्मोड़ा ०५

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद अल्मोड़ा

आदेश संख्या २८१ / प्राप्तिः० / स्थानान्तरण / 2015–2016

दिनांक ०६ जुलाई, 2015

—अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश—

शासन की अधिसूचना संख्या 201/XXIV-2/2013-32 (1)2013 दिनांक 21 मई 2013 उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवम् स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013यथा संशोधित 2014 के नियम 10-(1)-(अ) में निहित प्राविधिकों के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण की श्रेणी X क्षेत्र से निम्नांकित सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 5 में अंकित Y क्षेत्र के विद्यालय में किया जाता है। सम्बन्धित को आदेशित किया जाता है कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि किसी शिक्षक को उसके स्थानान्तरण के सन्दर्भ में कोई आपत्ति हो कि उसका स्थानान्तरण नियमावली में निर्धारित नियमों की विपरीत किया गया है तो यह निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करके स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तारीख से एक माह के अन्दर उपर्युक्त नियमों के विपरीत किये गये स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुष्ट साझे सहित अपना प्रत्यावेदन मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल को प्रेषित करेंगे।

क्र०स०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	विषय	कार्यरत राजउप्राप्तिः० विद्यालय/क्षेत्र का नाम	स्थानान्तरित राजउप्राप्तिः० विद्यालय/ क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
01	श्रीमती अनिता बिष्ट	विज्ञान	दौलाघट, हवालबाग	पनर्गोव, ताकुला
02	श्रीमती भगवती कर्त्त्याल	भाषा	पिलखा, हवालबाग	चनोली, मैसियाछाना
03	श्रीमती प्रभा राणा	विज्ञान	नौगोव, ताडीखेत	उरीली, द्वाराशाठ
04	श्रीमती लीला बिष्ट	विज्ञान	चायाखान, लमगडा	भांगाद्योली, लमगडा
05	श्रीमती नीमा बिष्ट	विज्ञान	दुगालखोला, हवालबाग	घसपड, धौलादेवी
06	श्रीमती विनिता पौगती	सामान्य	नौगोव, ताडीखेत	वामनीगाड, ताकुला
07	श्रीमती ज्योति तिवारी	सामान्य	तलाड, हवालबाग	चामी, धौलादेवी
08	श्री विपिन चन्द्र	गणित	कबडोली, चौखुटिया	गोगता, चौखुटिया

हस्तांतः—
मुख्य शिक्षा अधिकारी
अल्मोड़ा

पृष्ठांक संख्या 1668-85 / प्राप्तिः० / स्थानान्तरण / 2015–2016 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

- 1— निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2— अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 3— सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि आदेश सम्बन्धित को प्राप्त कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें। विद्यालय में 50%से अधिक शिक्षकों की कमी होने की स्थिति में स्थानान्तरित शिक्षक को प्रतिस्थानी के आने पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा। स्थानान्तरित शिक्षक का माह जुलाई 2015 का येतन नवीन तैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।
- 4— संबंधित कोषाधिकारी।
- 5— सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को उक्तानुसार अनुपालन हेतु।
- 6— कार्यालय आदेश पंजिका।

(अशोक कुमार रिंड)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)
जनपद अल्मोड़ा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद अल्मोड़ा

आदेश संख्या २४२/प्राप्रशि०/स्थानान्तरण/2015-2016

दिनांक ०६ जुलाई, 2015

-अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश:-

शासन की अधिसूचना संख्या 201/XXIV-2/2013-32 (1)2013 दिनांक 21 मई 2013 उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवम् स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित-2014 के नियम 10- (1)-(आ) में निहित प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण की श्रेणी V क्षेत्र से निम्नांकित प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तरम् 4 में अंकित X क्षेत्र के विद्यालय में किया जाता है। सम्बन्धित को आदेशित किया जाता है कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

क्र०स०	शिक्षक /शिक्षिका का नाम	कार्यरत राप्राप्रशि० विद्यालय/ क्षेत्र का नाम	स्थानान्तरित राप्राप्रशि० विद्यालय/ क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
1	श्री रघुवर दत्त भट्ट	हरड़ा, सल्ट	रीठा दुकरा, सल्ट

हस्तांक/-

मुख्य शिक्षा अधिकारी
अल्मोड़ा

पृष्ठांकन संख्या 1686-90 /प्राप्रशि०/स्थानान्तरण/2015-2016 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।

2- अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।

3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि आदेश सम्बन्धित को प्राप्त कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें। विद्यालय अध्यापक विहीन होने की रिप्पति में स्थानान्तरित शिक्षक को प्रतिस्थानी के आने पर ही कार्यवृत्त किया जायेगा। स्थानान्तरित शिक्षक का माह जुलाई 2015 का बेतन नवीन तैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।

4- संवित कोषाधिकारी।

5- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को उक्तानुसार अनुपालन हेतु।

6- कार्यालय आदेश पंजिका।

(अशोक कुमार सिंह)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)
जनपद अल्मोड़ा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद अल्मोड़ा

आदेश संख्या 283 /प्राप्रशि०/स्थानान्तरण/2015-2016
--अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश:-

दिनांक 06 जुलाई, 2015

शासन की अधिसूचना संख्या 201/XXIV-2/2013-32 (1)2013 दिनांक 21 मई 2013 उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवम् स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013यथा संशोधित-2014 के नियम 10-(1)-(आ) में निहित प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण की श्रेणी Y क्षेत्र से निम्नांकित सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 4 में अंकित X क्षेत्र के विद्यालय में किया जाता है। सम्बन्धित को आदेशित किया जाता है कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

क्र०स्ट०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	कार्यालय राठप्राप्रशि० विद्यालय/क्षेत्र का नाम	स्थानान्तरित राठप्राप्रशि० विद्यालय/क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
01	सुश्री विमला विष्ट	सत्यों,लमगड़ा	नवीन दरखास,हवालबाग
02	श्रीमती फराहा फाल्मा	कुलसीबी,झाराहाट	थिताई,हवालबाग
03	श्रीमती कामायनी वर्मा	बजठी,लमगड़ा	माल,हवालबाग
04	श्री धर्मन्द कुमार सिंह	देवराड़ी,सल्ट	करगेत,सल्ट
05	श्री अर्जुन सिंह विष्ट	सल्पूड़ी,मैसियाछाना	बलटा,हवालबाग
06	श्री ललित मोहन पाढ़ेय	सैतोली,भिकियासैण	बमनपुरी,झाराहाट
07	श्री कृष्ण कुमार सती	बेसरबगड़,सल्ट	नवीन पन्याली,ताड़ीखेत
08	श्री हरीश चन्द्र सिंह	पालीमन्यों,भिकियासैण	जैनोली,ताड़ीखेत
09	श्रीमती मंजु शर्मा	ककड़खेत,चौखुटिया	सलना,झाराहाट
10	श्री रामेश सिंह	चन्थरखाड़ी,स्थाल्दे	देवायल,सल्ट

हस्तांत्रिका/
मुख्य शिक्षा अधिकारी
अल्मोड़ा

पृष्ठांकन संख्या 1691-1706 /प्राप्रशि०/स्थानान्तरण/2015-2016 दिनांक उक्तावत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- अप शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
- 3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि आदेश सम्बन्धित को प्राप्त कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें। विद्यालय अध्यापक विहीन होने की स्थिति में स्थानान्तरित शिक्षक को प्रतिरक्षानी के आने पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा। स्थानान्तरित शिक्षक का माह जुलाई 2015 का वेतन नवीन तैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।
- 4- संबन्धित कोषाधिकारी।
- 5- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को उक्तानुसार अनुपालन हेतु।
- 6- कार्यालय आदेश पंजिका।

(अशोक कुमार सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)
जनपद अल्मोड़ा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद अल्मोड़ा

आदेश संख्या २८५ / प्राप्ति / स्थानान्तरण / 2015-2016

दिनांक ०६ जुलाई, 2015

-अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश:-

शासन की अधिसूचना संख्या 201/XXIV-2/2013-32 (1)2013 दिनांक 21 मई 2013 उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदान्वति एवम् स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013यथा संशोधित 2014 के नियम 10-(1)-(आ) में निहित प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण की श्रेणी V क्षेत्र से निर्मांकित सहायक अध्यापक साजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्बुद्ध रूपम् 5 में अकित X क्षेत्र के विद्यालय में किया जाता है। सम्बन्धित को आदेशित किया जाता है कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि किसी शिक्षक को उसके स्थानान्तरण के सन्दर्भ में कोई आपत्ति हो कि उसका स्थानान्तरण नियमावली में निर्धारित नियमों की विपरीत किया गया है तो वह निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करके स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तारीख से एक माह के अन्दर उपर्युक्त नियमों के विपरीत किये गये स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुष्ट साक्ष्य सहित अपना प्रत्यावेदन मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल को प्रेषित करेंगे।

क्र०स०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	विषय	कार्यरत राठ०प्राठ०विठ० विद्यालय/क्षेत्र का नाम	स्थानान्तरित राठ०प्राठ०विठ० विद्यालय/ क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
01	श्री पूरन राम टम्टा	सामान्य	झीलनैली,मैसियाछाना-	महतगाँव,हबालवाग
02	श्री रमेश चन्द्र जोशी	सामान्य	थिकलना,मैसियाछाना	पान,चौखुटिया
03	श्री गोपाल सिंह	भाषा	कलियालिगुण,स्याल्दे	थापला, चौखुटिया
04	श्री बालम सिंह	भाषा	कल्याणपुर,स्याल्दे	सैणामानुर,सल्ट
05	श्री हरीश सिंह नेगी	सामान्य	मलाड,धीलार्देकी	ढौनीगाड़,ताकुला
06	श्री दिनेश चन्द्र	सामान्य	बघाड,लमगडा	खालीभेटुली,ताकुला
07	श्री विलोधन भट्ट	सामान्य	थुपासिमल,लमगडा	भाबूलमगडा

हस्तांतर
मुख्य शिक्षा अधिकारी
अल्मोड़ा

पृष्ठांकन संख्या १७१२-२८ / प्राप्ति / स्थानान्तरण / 2015-2016 दिनांक उकावत्।

प्रतिलिपि निर्मांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि आदेश सम्बन्धित को प्राप्त करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें। विद्यालय में 50% से अधिक शिक्षकों की कमी होने की स्थिति में स्थानान्तरित शिक्षक को प्रतिस्थानी के आने पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा। स्थानान्तरित शिक्षक का माह जुलाई 2015 का वेतन नवीन तैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।
- संबंधित कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को उक्तानुसार अनुपालन हेतु।
- कार्यालय आदेश पंजिका।

(अशोक कुमार सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)
जनपद अल्मोड़ा